



पत्रांक: Acctts/130/2013-14/Part-I/149

दिनांक: 09/01/2018

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),  
बिहार शिक्षा परियोजना,  
संभू जिले।

विषय:- कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु कर्मियों/पदाधिकारियों को व्यक्तिगत अग्रिम निर्गत नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार शिक्षा परियोजना, भोजपुर एवं नवादा जिला में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अग्रिम राशि निर्गत किया गया है, जिसमें वित्तीय अनियमितता पाई गई है। उक्त के संबंध में कुछ कर्मों पर आवश्यक कार्रवाई भी की गई है। तत्पश्चात समीक्षोपरान्त निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

1. कार्यक्रम का क्रियान्वयन, जिस ईकाई (Unit) यथा BRC, CRC, VSS एवं KGBV इत्यादि के स्तर पर वास्तविक क्रियान्वयन होना है, उसी ईकाई को अग्रिम निर्गत करें।
2. कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिस आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता से कार्य लिया जाना है, उक्त आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता को ही कार्यक्रम के आवश्यकता अनुसार अग्रिम राशि निर्गत किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में संभाग प्रभारी/कर्मों एवं अन्य को कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अग्रिम निर्गत नहीं किया जाय।
3. विशेष परिस्थिति में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत अग्रिम के रूप में अधिकतम राशि रु० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) मात्र तक निर्गत किया जा सकता है। यह ध्यातव्य हो कि व्यक्तिगत अग्रिम केवल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के प्रबंधकीय संरचना के अंतर्गत नियुक्त कर्मों को ही दिया जाय।
4. इस क्रम में अंकित करना है कि विशेष परिस्थिति में विमुक्त की गयी अग्रिम राशि के समायोजन के पश्चात ही अग्रिम राशि निर्गत करें।

उक्त निदेश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाये। इससे इत्तर यदि कार्य किया जाता है तो यह आदेश की अवहेलना मानते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।  
इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

(संजय सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापक :- Acctts/130/2013-14/Part-I/149

दिनांक: 09/01/2018

प्रतिलिपि :- प्रशासी पदाधिकारी, सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, असैनिक कार्य प्रबंधक, (प्रभारी), राज्य स्तरीय कार्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिले को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

